(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2839—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14—06—2016 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 15/अ—74/2015—16/स्वमेव निगरानी.

.....

1—सुमन प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 भैयालाल पाण्डे
2—शैलेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 भैयालाल पाण्डे
निवासीगण ग्राम बगैहा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—राधौ प्रसाद द्विवेदी पुत्र खिरोधनराम द्विवेदी
निवासी ग्राम बगैहा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0
2—श्रीकुमार पाण्डेय पुत्र शिवचरणराम पाण्डेय
निवासी ग्राम बटौली तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण एवं
श्री कुंअर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 14–06–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने दिनांक 14.6.16 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बगैहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 193/8 से निर्मित नंबर 208 रकबा 75.10 एकड़ शासकीय थी जिसमें से अंश भाग 14 एकड़ भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) वर्ष 1978–79 से आवेदकगण के पिता स्व0 भैयालाल के नाम दर्ज हुई एवं उनके वाद आवेदकगण ने वारिसाना नामांतरण करा लिया हैं, उक्त भूमि के बंदोवस्त के वाद 1992–93 से नये नंबर 120, 123, 127, 128, 283, 284, 286, 288, बनाये गये हैं जिसे मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की जावे। कलेक्टर जिला सीधी ने अनावेदकगण के आवेदन पर प्रकरण कमांक 15/अ–74/2015–16 निगरानी पंजीबद्व किया तथा अंतिरिम आदेश दिनांक 14.6.16 से आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर जिला सीधी के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्को में बताया है कि ग्राम बगैहा की आराजी नंबर 207 रकबा 1.214 है0 एवं 208 रकबा 5.666 है0 आवेदकगण के पिता स्व0 भैयालाल पाण्डेय के नाम थी जिनकी मृत्यु उपरांत वारिसाना आधार पर आवेदकगण का नामांतरण किया गया है। बंदोवस्त के बाद वर्ष 1992–93 में इसी भूमि में से नये नंबर 120, 123, 127, 128, 283, 284, 286, 288 बने है। वर्ष 1978–79 से दिनांक 14.6.16 यानि लम्बी अवधि के वाद भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर स्वमेव निगरानी दर्ज करना ठीक नहीं हैं उन्होंने यह भी बताया है कि आवेदकगण की निगरानी कलेक्टर के समक्ष चलने योग्य नहीं है, क्यों कि आवेदकगण के अल्पवयस्क होने की स्थिति में भूमि पर बेजा कब्जा करने के बिवाद पर आवेदकगण के चाचा एवं अनावेदक कमांक –1 व उनके अल्पवयस्क होने से संरक्षक चाचा के बीच ग्राम पंचायत में दिनांक 14.2.84 को राजीनामा हुआ था और भूमि आवेदकगण के नाम होने की जानकारी राधौप्रसाद को थी, किन्तु राधौप्रसाद ने भूमि आवेदकगण के नाम होने की जानकी का गलत

तथ्य बताकर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत की है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता ने तर्को में बताया है कि ग्राम बगैहा की वादग्रस्त आराजी आवेदकगण के पिता स्वर्गीय भैयालाल पाण्डेय के नाम फर्जी तरीके से की गई है, जिसकी जानकारी आवेदकगण ने राजस्व अभिलेखों का पता लगाना प्रारंभ किया तथा राजस्व अभिलेखों की नकलें निकलबाई तब वास्तविकता का पता चलते ही निगरानी प्रस्तुत की है जो जानकारी के दिन से समय में है। आवेदकगण के विरूद्व कलेक्टर जिला सीधी ने कोई आदेश पारित नहीं किया है जिसके कारण निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाय।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में दिनांक 14.6.16 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर आवेदकगण को कलेक्टर द्वारा सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये और प्रकरण में पेशी दिनांक 12.7.16 नियत की गई। इसी आदेश पत्रिका के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जबकि कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में पेशी दिनांक 12.7.16, 8.8.16, 30.8.16 एवं 27.9.2016 नियत की गई हैं और आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का अवसर भी कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में रखने का अवसर प्राप्त है। कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 15/अ–74/2015–16/स्वमेव निगरानी में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 14.6.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर